

अग्र भारत

नई सोच का अखबार

www.agrabharat.in

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



वर्षः 19 | अंकः 150 | आगरा, शुक्रवार 20 नवम्बर 2026 | पृष्ठः 8 मूल्यः 2.00 रू.

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं: 12 साल में 81 देशों के 183 दौरे, 900 करोड़ से अधिक खर्च

नई दिल्ली (ए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में 81 देशों के कुल 183 विदेश दौरे किए हैं, इस पर अब तक 900 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आया है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने संसद में दिए गए जवाबों में दी है। जून 2014 से जुलाई 2026 तक की अवधि में इन यात्राओं पर होने वाला खर्च फिर से चर्चा का विषय बन गया है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इन 12 वर्षों में खर्च की राशि अलग-अलग सालों में काफी भिन्न रही है। सिर्फ जुलाई 2026 तक, चालू वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने 16 विदेश यात्राएं की थीं, जिन पर कम से कम 74.6 करोड़ रुपये खर्च हुए। हालांकि, जुलाई के बाद किए गए तीन और महत्वपूर्ण दौरों, जिसमें उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के द्विपक्षीय व शिखर सम्मेलन दौरे शामिल हैं, का ब्यौरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री दो दिवसीय फिलीपींस दौरे पर हैं, जहाँ वे आसियान-भारत शिखर सम्मेलन



और क्वाड सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी किसी देश का दौरा करते हैं, तब मेजबान देश उनके ठहरने और कुछ अन्य सुविधाओं का खर्च उठाता है। लेकिन उनके साथ जाने वाले भारतीय अधिकारियों, सुरक्षा दल और अन्य आवश्यक इंतजामों का खर्च भारत सरकार वहन करती है। इन उच्चस्तरीय विदेश यात्राओं का मुख्य उद्देश्य दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मंचों पर भारत की भागीदारी बढ़ाना है। मार्च 2025 में संसद को दिए गए विस्तृत ब्यौरे के मुताबिक, 2022 से 2024 के बीच तीन सालों में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर ठहरने की व्यवस्था पर करीब 104 करोड़ रुपये, परिवहन पर 71 करोड़ रुपये और अन्य खर्चों पर 75.7 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में 2015 में सबसे अधिक 28 विदेश यात्राएं की थीं। इस दौरान उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस और सिंगापुर जैसे बड़े देशों का दौरा किया था। इसी साल उन्होंने अचानक पाकिस्तान के लाहौर का दौरा कर तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। हालांकि, खर्च के मामले में 2025 सबसे महंगा साल साबित हुआ, जब इन यात्राओं पर कम से कम 187.8 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके मुकाबले, 2015 में विदेश यात्राओं पर 91.5 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

देशों के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा सबसे ज्यादा 10 बार की है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, जापान और फ्रांस का स्थान है, जहाँ उन्होंने आठ-आठ बार दौरा किया। कुछ दौरे विशेष रूप से महंगे भी साबित हुए हैं, जैसे 2019 में अमेरिका का दौरा, जिस पर 37.7 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस दौरान टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में करीब 50 हजार लोग शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त, 2025 में फ्रांस और 2023 व 2021 में अमेरिका के दौरों पर भी उल्लेखनीय खर्च हुआ था।

लश्कर कमांडर लतीफ भट को गुप्त तरीके से दफनाया गया

जम्मू,(ए)। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा बुधवार को लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लतीफ भट को एक मुठभेड़ में ढेर करने के बाद, उसके शव को देर रात करीब 10 बजे उसके परिजनों द्वारा दफना दिया गया। यह अंतिम संस्कार उसके घर से लगभग 160 किलोमीटर दूर और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में हुआ। सरकार की नीति के तहत आतंकवादियों के शव उनके परिवारों को नहीं सौंपे जाते हैं, ताकि सार्वजनिक अंतिम संस्कार और उनके महिमामंडन को रोका जा सके। लतीफ के परिवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में एक अज्ञात गांव ले जाया गया, जहां उसे सुपुर्द-ए-खाक किया गया। मृतक आतंकी का परिवार कुपवाड़ा के खेवान गांव में रहता है।

लतीफ भट के परिजनों ने इस अंतिम संस्कार की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार धार्मिक और पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों के जवान मौजूद थे। परिजनों को लतीफ भट के अंतिम संस्कार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की इजाजत नहीं थी। लतीफ भट के मामा मोहम्मद अल्ताफ ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतिम संस्कार में परिवार के आठ पुरुष सदस्य मौजूद थे। उन्होंने



कहा, हमें तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं थी। सुरक्षा बलों ने हमें कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में बंगस के एक गांव के कब्रिस्तान तक ले जाने से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही हमारे फोन ले लिए थे। उसके पिता मुश्ताक अहमद भट, दो मामा, तीन चाचा और एक बहनोई वहां मौजूद थे।

केंद्र सरकार ने मारे गए आतंकवादियों के शव उनके परिवारों को नहीं सौंपने की एक स्पष्ट नीति बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्सर इस नीति का जिक्र किया है। उन्होंने पूर्व में लोकसभा में कहा था, अब जहां भी कोई आतंकवादी मारा जाता है, उसे वहीं दफना दिया जाता है। नरेंद्र मोदी के शासन में किसी भी आतंकवादी का महिमामंडन करने के लिए अंतिम संस्कार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि 2001 के संसद हमले के मामले में दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर ही दफना दिया गया था, जहां कैदियों को जाने की इजाजत नहीं थी। तिहाड़ जेल में ही मकबूल भट की कब्र भी है, जिसे 1984 में फांसी दी गई थी। बुधवार को कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया लतीफ भट लश्कर-ए-तैयबा का स्थानीय कमांडर था। केंद्र सरकार के अनुसार, वह जम्मू-कश्मीर में इस आतंकी संगठन का आखिरी सक्रिय स्थानीय सदस्य था। वह पिछले हफ्ते सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले में भी शामिल था, जिसमें तीन जवान घायल हो गए थे।

अग्निवीरों को आसान नहीं पक्की नौकरी पाना, देनी होगी अग्निपरीक्षा

नई दिल्ली(ए)। अग्निवीर योजना में हुए हालिया बदलावों के बाद अब सेवा में पक्की नौकरी पाना उनके लिए और भी मुश्किल होने वाला है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को 2 साल का सेवा विस्तार देने की घोषणा की थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह विस्तार उन्हें स्थायी सैनिक बनने की गारंटी नहीं देगा। 6 साल की कुल सेवा अवधि पूरी होने के बाद भी, अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने के लिए बेहद कड़े चयन मानदंडों पर खरा उतरना होगा। इसमें शारीरिक दक्षता, फायरिंग कौशल, मेडिकल फिटनेस और अनुशासन जैसे प्रमुख आधार शामिल होंगे। यह नई व्यवस्था वर्तमान में कार्यरत करीब 3.18 लाख अग्निवीरों पर लागू होगी।



सेना नई रक्षा तकनीकों और हथियार प्रणालियों को शामिल कर रही है, जिसके मद्देनजर उन अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मल्टी-स्किल्ड होंगे और तकनीक तथा हथियारों को चलाने में माहिर होंगे। अधिकारियों के अनुसार, चयन के लिए जिन मानदंडों पर विचार किया जा रहा है, उनमें लो मेडिकल कैटेगरी (एलएमसी) वाले और अनुशासनहीनता (जैसे शराब की लत) के मामलों में लिप्त अग्निवीरों को बाहर रखना शामिल है। तीनों सेनाओं के शीर्ष संगठन एचक्यू आईडीएस ने बताया है कि इन मानदंडों पर अभी विचार-विमर्श चल रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि ये मानदंड नियमित सैनिकों और अग्निवीरों दोनों के प्रदर्शन पर गहन विश्लेषण के बाद तय किए जा रहे हैं। इसमें यह शर्त भी शामिल होगी कि नियमित सैनिक बनने की इच्छा रखने वाले अग्निवीरों को संयुक्त शारीरिक परीक्षण में एक्सीलेंट ग्रेड और फायरिंग में कम से कम फर्स्ट-क्लास शॉट का प्रदर्शन करना होगा। एलएमसी की तीन श्रेणियां हैं - युद्ध के दौरान घायल होना, सैन्य सेवा से संबंधित चोटें, और ऐसी चोटें जिनका सैन्य सेवा से कोई संबंध नहीं है। यह चर्चा है कि 6 साल बाद किसी भी एलएमसी श्रेणी वाले उम्मीदवार को सेवा में न रखा जाए, हालांकि युद्ध में घायल हुए या सेवा-संबंधित एलएमसी वालों को कुछ छूट मिल सकती है।

अनुशासनहीनता के मामलों में, रेड इंक एंट्री और ब्लैक इंक एंट्री जैसी सजाएं दी जाती हैं। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या छोटी सी अनुशासनात्मक गलती करने वाले अग्निवीर को सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए या नहीं। अंतिम चयन के लिए यूनिट स्तर पर कैडर परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इस परीक्षा में लिखित टेस्ट, शारीरिक दक्षता और फायरिंग टेस्ट शामिल होंगे, जिनके प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। संशोधित योजना के तहत, अग्निवीरों से एक नए सर्टिफिकेट के माध्यम से चार विकल्प मांगे जाएंगे। इनमें नियमित सैनिक कैडर में शामिल होने की इच्छा, नियमित सैनिक न चुने जाने पर भी दो साल का सेवा विस्तार स्वीकार करना, केवल दो साल का अतिरिक्त विस्तार लेना, या आगे सेना में सेवा जारी न रखने की इच्छा शामिल है।

कोर्ट ने घर की कुर्की का दिया आदेश, नगीना सांसद को झटका

गाजियाबाद(ए)। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ा झटका लगा है। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर को सुनवाई में पेश नहीं होने पर सख्त रुख अपनाते हुए उनके घर की कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। यह मामला साल 2018 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान हुई मारपीट और गाली-गलौज से जुड़ा है, जिसकी शिकायत धर्मेंद्र कुमार ने की थी। इससे पहले, इसी अदालत ने सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। 17 नवंबर को उन्हें अदालत में मौजूद रहने को कहा गया था, ताकि उनके खिलाफ आरोप तय किए जा सकें। हालांकि, वह एक बार फिर गैरहाजिर रहे। बताया गया कि चंद्रशेखर आजाद मुंबई में संसदीय कार्यसमिति की पूर्व निर्धारित बैठक में शामिल होने के कारण अदालत नहीं पहुंच सके। उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र भी दिया था। लेकिन, अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। फिलहाल, अपने खिलाफ आए इस आदेश पर चंद्रशेखर आजाद की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी, कांग्रेस और आप सहित कई दलों को नोटिस भेजे

नई दिल्ली(ए)। सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को लेकर एक अहम कदम उठाया है। व्यापारियों द्वारा दायर एक याचिका के बाद, अदालत ने अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) सहित कई राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। व्यापारियों का तर्क है कि अगर प्रदर्शनों के लिए रामलीला मैदान की अनुमति दी जाती है, तो उनके व्यापार करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। व्यापारी पहले भी कांग्रेस के 1 नवंबर को हुए प्रदर्शन को लेकर आपत्ति जता चुके हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इस बेंच में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना भी शामिल थीं। बेंच ने इससे पहले व्यापारी संगठनों से इन आंदोलनकारी समूहों को पक्षकार बनाने के लिए कहा था। 3 नवंबर को सीजेआई ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। बुधवार को अदालत ने स्पष्ट किया कि विरोध करने के अधिकार और व्यवसाय चलाने के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित होना बेहद ज़रूरी है। सीजेपी, आप और कांग्रेस के अलावा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन को भी नोटिस मिला है, जिसकी प्रमुख नेहा बोरा हैं। नेहा बोरा अक्सर कांग्रेस और सीजेपी दोनों के प्रदर्शनों में प्रमुख रूप से नजर आती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की संशोधित याचिका पर दिए गए हैं।

व्यापारियों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में अपनी दलीलें रखीं। बेंच ने कहा कि नई जोड़ी गई रिट याचिका को रिकॉर्ड पर लिया गया है और नए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदर्शनकारियों के विरोध करने का अधिकार और दूसरों के मौलिक अधिकार, जैसे कि व्यापार करने का अधिकार, दोनों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। रोहतगी ने अपनी दलील में बताया कि रामलीला मैदान के पास की थोक मंडियों में विरोध प्रदर्शनों के कारण कारोबारी गतिविधियां बाधित होती हैं। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शन के लिए अधिसूचित स्थानों में से एक के रूप में क्यों रखा गया है, जबकि यह व्यावसायिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है। सीजेआई ने संकेत दिया है कि दिल्ली और अन्य जगहों पर हाल ही में हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए अलग-अलग तारीखें तय की जाएंगी। इस मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका लेफ्ट नेता और राज्यसभा सांसद एमए बेबी की भी है, जिसमें 27 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार पर जोर दिया गया है। गौरतलब है कि जंतर मंतर को हाल ही में प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया था। अभिजीत दीपके व्यक्तिगत रूप से भी एक मामले में उलझे हुए हैं। पिछले अक्टूबर में राजधानी दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस के पास लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। खबर है कि उन्हें 10 अक्टूबर को साइन किए गए पीस बॉन्ड के उल्लंघन के चलते गिरफ्तार किया गया था।

धार्मिक विवाद टालने के लिए सीजेआई ने दो केस लिए थे वापस

नई दिल्ली,(ए)। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के समर्थन के बाद जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ से दो अहम मामले वापस ले लिए हैं। यह फैसला प्रक्रियागत अनियमितताओं और एक संभावित धार्मिक विवाद को टालने की दृष्टि से लिया गया। दरअसल, इन मामलों की सुनवाई के दौरान अलग-अलग जगहों पर हुई प्रशासनिक और नियामकीय चूकों को देशव्यापी स्तर पर उठाया गया था, जबकि संबंधित पीठ को जनहित याचिकाओं की सुनवाई का रोस्टर आवंटित नहीं था।

मतदाता सूची से 13 करोड़ नाम हटाकर एक दल की मदद की

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज गौड़ा ने उठाए गभीर सवाल

नई दिल्ली(ए)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पर अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी. गोपाला गौड़ा ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आयोग पर एक राजनीतिक दल की मदद करने के लिए कदम उठाने और भारत की संप्रभुता को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी दल लगातार ईसीआई की विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठा रहे हैं।

जस्टिस गौड़ा ने जारी एसआईआर प्रक्रिया को एक बड़ी त्रासदी करार दिया है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर पूरे देश में 13 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से



डिलीट कर एक राजनीतिक दल की मदद की है। यह देश की संप्रभुता को हाईजैक करने जैसा है, जो बहुत बड़ी त्रासदी है। उन्होंने इस तरीके पर भी आपत्ति जताई है कि इसका इस्तेमाल मतदाताओं को लिस्ट से हटाने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वयस्क को वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और देश के लोग सर्वोच्च हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग।

जस्टिस गौड़ा ने एक पत्रकार की तरफ से की गई खोजी पत्रकारिता में हुए खुलासे का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस तरह हलफनामे दाखिल किए और बयान जारी किए, उससे साफ है कि ईसीआई ने एसआईआर के कई अहम पहलुओं को गलत तरीके से रखकर यह फैसला लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक दलों की तरफ से फॉर्म 7 को बड़ी संख्या में जमा करके वोटर डिलीट कराने के लिए नहीं होना चाहिए।

खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और कथित गड़बड़ी संबंधित आरोपों पर सुनवाई करने जा रहा है। इससे संबंधित कई याचिकाएं पहले ही शीर्ष न्यायालय के पास लंबित हैं। इनमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं की याचिकाएं शामिल हैं।

अब भारत से नेपाल तक चलेगी नई साप्ताहिक ट्रेन, 604 किमी का सफर करेगी तय

नई दिल्ली,(ए)। भारत और नेपाल के बीच अयोध्या से जनकपुर धाम तक एक नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू हो रही है, जो 604 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसमें नेपाल में केवल 28 किलोमीटर का हिस्सा शामिल होगा। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में रेलवे नेटवर्क के विकास में नेपाल की बड़ी भूमिका थी। अंग्रेजों को भारत में रेल की पटरियों के नीचे बिछाने के लिए मजबूत साल की लकड़ी (स्लीपर) की भारी मात्रा में जरुरत थी। जब भारत में जंगल कट गए, तो उन्होंने नेपाल के शासकों से संपर्क किया, जिनके पास घने साल के जंगल थे। नेपाल के तत्कालीन शासकों ने अंग्रेजों को भारी मात्रा में लकड़ी बेच दी। इसी लकड़ी का इस्तेमाल कर भारत में रेलवे लाइनें बिछाई गईं थी।

अब सवाल उठता है कि नेपाल में रेलवे का विस्तार क्यों नहीं हुआ, जबकि उसने भारत के रेलवे विकास में इतना योगदान दिया? जानकारों के मुताबिक नेपाल ब्रिटिश शासन के अधीन पूरी तरह से नहीं था। 1816 की संधि के बाद नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना रहा, जहां स्थानीय शासकों



ने सत्ता बनाए रखने के लिए देश को बाहरी दुनिया से अलग-थलग रखा। उन्होंने सड़कें और रेलवे जैसी बुनियादी सुविधाओं का बहुत कम विकास होने दिया, ताकि भारत से लोगों को वहां पहुंचने में मुश्किल हो। नेपाल में पहली रेल लाइनें भी लोगों के आवागमन के लिए नहीं, बल्कि लकड़ी ढोने के लिए बिछाई गई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक 1927 में रक्सौल से अमलेखगंज तक और फिर 1937 में जयनगर से जनकपुर तक नैरोगेज लाइनें बनाई गई, जिनका मुख्य उद्देश्य जंगलों से लकड़ी काटकर भारत लाना था। जंगल साफ होने के बाद ही इन लाइनों का इस्तेमाल यात्रियों के लिए शुरू हुआ।

यह नई ट्रेन अयोध्या कैंट से चलेगी और बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर स्टेशन इसका आखिरी स्टेशन होगा, जहां से यह नेपाल के जनकपुर धाम पहुंचेगी। भारत की तरफ से इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगी, लेकिन नेपाल के हिस्से में जयनगर से इसमें डीजल इंजन लगेगा, क्योंकि नेपाल में अभी बिजली की रेल लाइन नहीं है। 150 साल से भी ज्यादा समय के बाद, अब जब अयोध्या और जनकपुर के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी, तब जाकर भारत और नेपाल के बीच वास्तविक और सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा, जो दोनों देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा।

कल्पना चावला: अंतरिक्ष में भारत की पहली बेटी की अमिटगाथा

करनाल(ए)। साल 1997 में 19 नवंबर का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक था, जब उसकी बेटी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में कदम रखकर इतिहास रचा। नासा के स्पेस शटल कोलंबिया से मिशन एसटीएस-87 के जरिए उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी और भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व और सपनों की उड़ान का क्षण बन गईं। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में जन्मीं कल्पना का बचपन तारों को निहारते हुए बीता। छत पर लेटकर घंटों तारों को देखना और उनकी दूरियों पर सोचना उनके बचपन का हिस्सा था। टैगोर बाल निकेतन की लाइब्रेरी उनकी दूसरी दुनिया थी। वर्ष 1976 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर या अध्यापक बनें, लेकिन कल्पना के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आर्लिंगटन के टेक्सास विश्वविद्यालय से मास्टर्स और कोलोराडो विश्वविद्यालय से पीएचडी की।



वर्ष 1991 में अमेरिका की नागरिकता लेने के बाद कल्पना ने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में कम्प्यूटेशनल फ्यूड डाइनामिक पर शोध किया। वर्ष 1993 में वह ओवरसेट मेथड्स आईएनसी में वाइस प्रेसिडेंट बन गईं, जहां उन्होंने मल्टी-बॉडी सिमुलेशन पर काम किया। वर्ष 1994 में जब नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना, तो करनाल सहित पूरा देश गर्व से झूम उठा। मार्च 1995 में कल्पना ने स्पेस सेंटर से अपनी दो साल की कठिन ट्रेनिंग शुरू की और अपनी मेहनत से दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। 19 नवंबर 1997 को कल्पना ने पहली बार मिशन एसटीएस-87 के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरी। इस ऐतिहासिक क्षण में उन्होंने 1.04 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करते हुए 365 घंटों में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं कीं। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखकर उन्होंने कहा था कि यहां से सब सीमाएं मिट जाती हैं, सिर्फ एक नीला गोला दिखता है, हमारा घर। उनकी यह 16 दिवसीय उड़ान 5 दिसंबर 1997 को संपन्न हुई। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला ने एसटीएस-107 मिशन पर अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। दुर्भाग्यवश, 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर वापस लौटते वक्त कोलंबिया यान भीषण हादसे का शिकार हो गया। लैंडिंग से महज 16 मिनट पहले यान के बाएं पंखे में तकनीकी खराबी (छेद) के कारण बाहर की गैस तेजी से अंदर भरने लगी, जिससे सेंसर ने काम करना बंद कर दिया और स्पेसक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस मिशन से कल्पना कभी नहीं लौटीं, लेकिन उनकी बहादुरी, वैज्ञानिक योगदान और सपनों को छूने की ललक ने हमेशा के लिए उन्हें भारत की बेटियों के लिए एक प्रेरणास्रोत बना दिया है। कल्पना चावला का नाम हमेशा अंतरिक्ष और भारत के गौरवशाली इतिहास में अमर रहेगा।